छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

विद्युत नियामक भवन

सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 0771–4048788 फैक्स 4073553

वेबसाईट *www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in*

CSERC

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

टैरिफ याचिका पर सुनवाई हेतु सूचना

छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या. (CSPDCL), छ.ग.राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या. (CSPTCL), छ.ग.राज्य विद्युत उत्पादन कं.मर्या. (CSPGCL) एवं छ.ग.राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 एवं संबंधित बहुवर्षीय टैरिफ (MYT) विनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के ट्रू–अप एवं वर्ष 2018–19 हेतु संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं विद्युत दरों के निर्धारण के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष क्रमशः याचिकाएं 66/2017(T), 67/2017(T), 69/2017(T) एवं 68/2017(T) प्रस्तुत की गई हैं। संबंधित पक्षों से जानकारी एवं उनसे सुझाव/आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में CSPDCL, CSPTCL, CSPGCL एवं CSLDC द्वारा प्रस्तावों के सारांश प्रकाशित किए गए हैं। उपरोक्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत टैरिफ प्रस्तावों पर निम्न कार्यक्रमानुसार आयोग द्वारा उनके सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर स्थित कोर्ट रूम में संबंधित पक्षों की सुनवाई की जावेगी।

दिनांक	समय	उपभोक्ता श्रेणी
06/03/18	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	सभी अति उच्च दाब श्रेणी
	दोपहर 3:00 बजे से सायं: 5:30 बजे तक	उच्च दाब उद्योग एवं अन्य उच्च दाब श्रेणी
07/03/18	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	निम्न दाब उद्योग
	दोपहर 3:00 बजे से सायं: 5:30 बजे तक	घरेलू श्रेणी
08/03/18	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	कृषि एवं वाणिज्य
	दोपहर 3:00 बजे से सायं: 5:30 बजे तक	स्थानीय निकाय, नगर निगम एवं ट्रेड यूनियन

यह सुनवाई विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95 के अंतर्गत निर्धारित है जिसके अनुसार आयोग के समक्ष सभी कार्यवाहियाँ, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियाँ हैं और आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा।

सामान्य सुनवाई उन पक्षों के लिए आयोजित की गई है जिनके द्वारा लिखित आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ आयोग को प्रस्तुत की गई हैं परंतु अन्य संबंधित पक्ष भी उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार आयोग के समक्ष अपना सुझाव/आपत्ति रख सकते हैं। इस संबंध में इच्छुक पक्ष को सुनवाई में सम्मिलित होने हेतु अपना नाम दिनांक 05/03/2018 तक आयोग के सचिव को सूचित करना होगा। जिन व्यक्ति/संस्थाओं/संघों ने लिखित में टिप्पणियां/आपत्तियां प्रस्तुत की हैं उन्हें अलग से व्यक्तिगत सूचना भेजना संभव नहीं है, अतः वे भी इस सूचना के आधार पर सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता एसोसिएशन/समूह आयोग के समक्ष किसी प्रकार की प्रस्तुतिकरण (Presentation) देना चाहते हैं, तो वे इस बाबत कृपया आयोग के सचिव को पूर्व सूचना देवें।

सचिव

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Vidhyut Niyamak Bhawan
Irrigation Colony, Shanti Nagar Raipur – 492001 (C.G.)
Ph.0771-4048788, Fax 4073553
Website *www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in*

NOTICE FOR HEARING ON TARIFF PETITION

The Chhattisgarh State Power Distribution Co. Ltd. (CSPDCL), Chhattisgarh State Power Transmission Co. Ltd. (CSPTCL), Chhattisgarh State Power Generation Co. Ltd. (CSPGCL) and Chhattisgarh State Load Despatch Center (CSLDC) have filed petition No.66/2017(T), 67/2017(T), 69/2017(T) and 68/2017(T) respectively before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for true up for FY 2016-17 and for revised Annual Revenue Requirement and retail tariff for FY 2018-19 as per the provision of Electricity Act, 2003 and relevant provisions in Multi Year Tariff (MYT) Regulations. Notices inviting suggestion/comments/objections from the public on above proposals were published in the newspapers of the state by the petitioner.

The Commission shall hold hearing of the stake holders on the above petitions as per the following schedule in the Court Room of the Commission situated at Irrigation colony, Shanti Nagar, Raipur :-

Date	Time of hearing	Consumer category
06/03/18	11:00 AM to 2:00 PM	All EHV category
	3:00 PM to 5:30 PM	HT Industry and other HT category
07/03/18	11:00 AM to 2:00 PM	LT Industry
	3:00 PM to 5:30 PM	Domestic category
08/03/18	11:00 AM to 2:00 PM	Agriculture and Commercial
	3:00 PM to 5:30 PM	Local bodies, Municipal Corporation and Trade Union

This hearing is scheduled under section 95 of the Electricity Act 2003, according to which all activities before the Commission is considered under the provision of section 193 and section 228 of Indian Penal Code (section 45 of 1860) and the Commission is presumed like a Civil Court for implementation of the provision of section 345 and section 346 of Indian Penal Code 1973 (2 of 1974).

Hearing is generally held on the comments/objections received in writing by the Commission. However all interested parties may also appear before the Commission for their comments/objections. In this regard, interested parties have to intimate the Secretary of the Commission with their name up to 05/03/2018. It is not practicable to send notices to all individuals who have submitted comments/objections. Hence, on the basis of this notice they may appear for hearing before the Commission. Any consumer association/group who want to make presentation before the Commission during hearing, may give prior intimation to the Secretary of the Commission.

SECRETARY